दीपक कुमार, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Deepak Kumar, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक –3/एम०–44/2019सा0प्र0 9764 /

सेवा में,

विकास आयुक्त
पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष

दिनांक 22 **जुलाई, 2019**

विषय– माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये वैसे वादों, जिनमें एक से अधिक विभागों को प्रतिवादी बनाया जाता है, में मुख्य प्रतिवादी विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः– विधि विभाग का पत्र संख्या–6400 दिनांक–27.10.2016 तथा पत्र संख्या–498 दिनांक–25.01.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वैसे वादों, जिनमें एक से अधिक विभागों को प्रतिवादी बनाया जाता है, में मुख्य प्रतिवादी कोई एक विभाग होता है और अन्य विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी होते हैं। सभी प्रतिवादी विभागों द्वारा अलग–अलग प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर किये जाने पर कतिपय मामलों में उनके Submissionsमें भिन्नता हो जाती है यहाँ तक कि कभी–कभी विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है।

2. वर्णित स्थिति में प्रसंगवर्णित पत्रों द्वारा यह निदेश परिचारित किया गया है कि ऐसे मामलों में मुख्य प्रतिवादी विभाग द्वारा ही राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर किया जायेगा। जिन मामलों में संबंधित मुख्य प्रतिवादी विभाग को वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग अथवा अन्य किसी विभाग का मंतव्य/परामर्श लेना आवश्यक हो तो संचिका के माध्यम से इसे प्राप्त किया जायेगा। यदि मंतव्य प्राप्त होने में विलम्ब हो तो मुख्य प्रतिवादी विभाग ही मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कराकर संबंधित बिन्दु पर सहमति बनायेंगे एवं तदनुसार प्रतिशपथ पत्र /कारण–पृच्छा दायर करेंगे।

3. परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय विभागों द्वारा उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरकार को माननीय उच्च न्यायालय में असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में सी0डब्लू0जे0सी0सं0–4176/2017 में दिनांक–18.05.2018 को पारित अन्तरिम आदेश महत्त्वपूर्ण है, जो निम्नवत् है–

> "When the State of Bihar is already a party in the case then respondent-Departments are not allowed to take different stand. There should be a consolidated counter affidavit indicating the stand of the State Government as a whole. The Court expects that State Government speaks through one voice and not through different voice of different departments. The counter affidavit filed today manifests that there is no coordination between the departments of the government. Under the aforesaid circumstances, the case is adjourned till 25.06.2018.

The Court requests the Chief Secretary, Government of Bihar, to see that henceforth, one department may not take plea that it is not aware of the stand of the other department and counter affidavit may not be filed by one department shifting buck on the other departments. The Court does not approve the stand of the Director, Primary Education that in this case, the Finance Department is also a party therefore, the Court should await counter affidavit of Finance Department.

The court hope and trust that some mechanism may be evolved by the Chief Secretary so that in future this kind of stand may not be taken by the respondents in the counter affidavit.

4. वर्णित स्थिति में पुनः निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वैसे वादों, जिनमें एक से अधिक विभागों को प्रतिवादी बनाया जाता है, में–

(i) मुख्य प्रतिवादी विभाग द्वारा ही राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर किया जायेगा।

(ii) जहाँ संबंधित मुख्य प्रतिवादी विभाग को वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग अथवा अन्य किसी विभाग का मंतव्य/परामर्श लेना आवश्यक हो तो संचिका के माध्यम से इसे प्राप्त किया जायेगा। यदि मंतव्य प्राप्त होने में विलम्ब हो तो मुख्य प्रतिवादी विभाग ही मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कराकर संबंधित बिन्दु पर सहमति बनायेंगे एवं तदनुसार प्रतिशपथ पत्र/कारण–पृच्छा दायर करेंगे।

(iii) ऐसे मामलों में किसी एक विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में यह Stand नहीं लिया जायेगा कि उसे विषयगत मामले में अन्य प्रतिवादी विभागों के Stand की जानकारी नहीं है।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार)